राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्र.सं.	अपील संख्या	उनवान
1	1637 / 12 / बीकानेर	कमल एजेन्सीज बीकानेर बनाम सीटीओ, बीकानेर
2	1638 / 12 / बीकानेर	कमल एजेन्सीज बीकानेर बनाम सीटीओ, बीकानेर
3	1639 / 12 / बीकानेर	कमल एजेन्सीज बीकानेर बनाम सीटीओ, बीकानेर
4	1640 / 12 / बीकानेर	कमल एजेन्सीज बीकानेर बनाम सीटीओ, बीकानेर
5	1641 / 12 / बीकानेर	कमल एजेन्सीज बीकानेर बनाम सीटीओ, बीकानेर
6	1642 / 12 / बीकानेर	कमल एजेन्सीज बीकानेर बनाम सीटीओ, बीकानेर
7	1675 / 12 / बीकानेर	हीरालाल मुरलीधर एण्ड संस बनाम सीटीओ
8	क्रा.आ 1104 / 13 / बीकानेर	हीरालाल मुरलीधर एण्ड संस बनाम सीटीओ
9	1676 / 12 / बीकानेर	हीरालाल मुरलीधर एण्ड संस बनाम सीटीओ
10	क्रा.आ 1105 / 13 / बीकानेर	हीरालाल मुरलीधर एण्ड संस बनाम सीटीओ
11	1826 / 12 / गंगानगर	ज्ञान ट्रेडिंग कम्पनी बनाम सीटीओ
12	1827 / 12 / गंगानगर	ज्ञान ट्रेडिंग कम्पनी बनाम सीटीओ
13	1828 / 12 / गंगानगर	ज्ञान ट्रेडिंग कम्पनी बनाम सीटीओ
14	1829 / 12 / गंगानगर	ज्ञान ट्रेडिंग कम्पनी बनाम सीटीओ
15	1830 / 12 / गंगानगर	ज्ञान ट्रेडिंग कम्पनी बनाम सीटीओ
16	1919 / 12 / बीकानेर	एस.एन.एजेन्सीज बनाम सीटीओ
17	1920 / 12 / बीकानेर	एस.एन.एजेन्सीज बनाम सीटीओ
18	1921 / 12 / बीकानेर	एस.एन.एजेन्सीज बनाम सीटीओ
19	1939 / 12 / बीकानेर	एस.एन.एजेन्सीज बनाम सीटीओ
20	2143 / 12 / बीकानेर	मुरलीधर पित्ती एण्ड संस बनाम सीटीओ
21	2144 / 12 / बीकानेर	मुरलीधर पित्ती एण्ड संस बनाम सीटीओ
22	2145 / 12 / बीकानेर	मुरलीधर पित्ती एण्ड संस बनाम सीटीओ
23	2146 / 12 / बीकानेर	मुरलीधर पित्ती एण्ड संस बनाम सीटीओ
24	2147 / 12 / बीकानेर	मुरलीधर पित्ती एण्ड संस बनाम सीटीओ
25	2148 / 12 / बीकानेर	मुरलीधर पित्ती एण्ड संस बनाम सीटीओ
26	2388 / 12 / जयपुर	परफेटी वेन मेले इण्डिया प्रा.लि. बनाम सीटीओ
27	2389 / 12 / जयपुर	परफेटी वेन मेले इण्डिया प्रा.लि. बनाम सीटीओ
28	78 / 13 / बीकानेर	मुंझाल ट्रेडिंग कम्पनी बनाम सीटीओ
29	79 / 13 / बीकानेर	मुंझाल ट्रेडिंग कम्पनी बनाम सीटीओ
30	80 / 13 / बीकानेर	मुंझाल ट्रेडिंग कम्पनी बनाम सीटीओ
31	116 / 13 / बीकानेर	सीटीओ बनाम मुरलीधर पित्ती एण्ड संस
32	117 / 13 / बीकानेर	सीटीओ बनाम मुरलीधर पित्ती एण्ड संस
33	118 / 13 / बीकानेर	सीटीओ बनाम मुरलीधर पित्ती एण्ड संस
34	119 / 13 / बीकानेर	सीटीओ बनाम मुरलीधर पित्ती एण्ड संस
35	120 / 13 / बीकानेर	सीटीओ बनाम मुरलीधर पित्ती एण्ड संस
36	121 / 13 / बीकानेर	सीटीओ बनाम मुरलीधर पित्ती एण्ड संस
37	122 / 13 / बीकानेर	सीटीओ बनाम हीरालाल मुरलीधर एण्ड संस
38	123 / 13 / बीकानेर	सीटीओ बनाम हीरालाल मुरलीधर एण्ड संस
39	227 / 13 / गंगानगर	ए.सी. बनाम ज्ञान ट्रेडिंग कम्पनी
40	228 / 13 / गंगानगर	ए.सी. बनाम ज्ञान ट्रेडिंग कम्पनी
41	229 / 13 / गंगानगर	ए.सी. बनाम ज्ञान ट्रेडिंग कम्पनी
42	230 / 13 / गंगानगर	ए.सी. बनाम ज्ञान ट्रेडिंग कम्पनी
43	231 / 13 / गंगानगर	ए.सी. बनाम ज्ञान ट्रेडिंग कम्पनी
44	252 / 13 / बीकानेर	मुंझाल ट्रेडिंग कम्पनी बनाम सीटीओ
45	459 / 13 / जयपुर	सीटीओ बनाम परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि.
46	460 / 13 / जयपुर	सीटीओ बनाम परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि.
47	1829 / 13 / जयपुर	परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि बनाम ए.सी.

लगातार........................2

48✓	2022/13/जयपुर	सीटीओ बनाम परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि.
49	106/13/बीकानेर	सीटीओ बनाम कमल एजेन्सीज
50	107/13/बीकानेर	सीटीओ बनाम कमल एजेन्सीज
51	108/13/बीकानेर	सीटीओ बनाम कमल एजेन्सीज
52	109/13/बीकानेर	सीटीओ बनाम कमल एजेन्सीज
53	110/13/बीकानेर	सीटीओ बनाम कमल एजेन्सीज
54	111/13/बीकानेर	सीटीओ बनाम कमल एजेन्सीज
55	304/14/बीकानेर	कमल एजेन्सीज बीकानेर बनाम सीटीओ
56	305/14/बीकानेर	कमल एजेन्सीज बीकानेर बनाम सीटीओ
57	797/14/बीकानेर	ए.सी. बनाम कमल एजेन्सीज
58	798/14/बीकानेर	ए.सी. बनाम कमल एजेन्सीज
59	2148/14/बीकानेर	एस.एन.एजेन्सीज बनाम सीटीओ
60	2149/14/बीकानेर	एस.एन.एजेन्सीज बनाम सीटीओ
61	211/17/जयपुर	भानू एजेन्सीज बनाम ए.सी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक ....विभाग की ओर से

श्री वी.के.पारीक, श्री ओ.पी.माहेश्वरी,
श्री ओ.पी.दौसाया, श्री अलकेश शर्मा
अधिकृत अभिभाषकगण ....व्यवहारियों की ओर से

निर्णय दिनांक :– 04.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थीगण व्यवहारी/राजस्व द्वारा यह अपीलें/क्रॉस आबजेक्शन्स उपायुक्त (अपील्स)/अपीलीय प्राधिकारीगण, वाणिज्यिक कर विभाग (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें व्यवहारियों द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये सृजित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने/अस्वीकार किये जाने को विवादित किया है।

2. समस्त प्रकरणों के तथ्य समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावें।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विभिन्न कर निर्धारण अधिकारीगण (जिसे आगे **"सक्षम अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राज्य के विभिन्न व्यवहारियों की उपलब्ध लेखा पुस्तकों की जांच पर पाया गया कि व्यवहारियों द्वारा ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री राज्य में की गई है। सक्षम अधिकारीगण के द्वारा रिकॅार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि व्यवहारियों द्वारा आलौच्य अवधियों में ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी माल पर 4/5 प्रतिशत वैट संग्रहित किया है। व्यवहारियों द्वारा विक्रय किये जा रहे माल के नमूने लिये गये तथा आलौच्य अवधियों में उक्त की गई बिक्रियों का विवरण प्रस्तुत करने हेतु व्यवहारियों को नोटिस जारी किये गये। आलौच्य अवधियों में बिक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की श्रेणी में आने तथा वैट अनुसूची–चतुर्थ के तहत् करयोग्य नहीं होने एवं वैट अनुसूची–पंचम के तहत् सामान्य कर दर से करयोग्य होना मानते हुये व्यवहारियों द्वारा किये गये कृत्य को करापवंचन की श्रेणी में पाया तथा अन्तर कर संग्रहित/जमा कराया जाना नहीं पाया।

लगातार..................3

4. सक्षम अधिकारीगण ने पत्रावलियों, उपलब्ध रिकॉर्ड व प्रोडक्ट्स के रेपर्स का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि व्यवहारियों द्वारा विक्रय किये जा रहे प्रोडक्ट्स अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्ठि संख्या 163 के अनुरूप Sugar Candy made of Sugar & Glucose but excluding coco नहीं पाया। रेपर्स/पैकिंग के अवलोकन पर SUGAR BOILED CONFECTIONERY व (R) अंकित पाया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि यह ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी है, क्योंकि ऐसा ही बिक्रीत माल पर अंकित पाया गया। व्यवहारियों द्वारा बिक्रीत माल पर 4/5 प्रतिशत से कर संग्रहित करते हुए राजकोष में जमा कराया गया है। व्यवहारीगण द्वारा बिक्रीत माल पर (R) अंकित होना उनके प्रोडक्ट के लिये रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क को इंगित करता है, अतः बिक्रीत माल ब्रान्डेड कन्फेक्शनरी है। अतःएव आलोच्य अविधयों में अनुसूची V के तहत सामान्य कर दर से करयोग्य माल होने के बावजूद व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा गलत निर्वचन किया गया तथा बिक्री विवरणियों में कर दर की गलत घोषणा कर राजकोष में कम कर अदा करते हुए कर परिवर्जन व अपवंचन किया जाना प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारीगण ने व्यवहारियों को अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये एवं प्रस्तुत जवाबों से अंसतुष्ट होते हुये अन्तर कर, ब्याज व शास्तियों का आरोपण किया गया। उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारियों द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने शास्ति के बिन्दु पर व्यवहारियों की अपीलें स्वीकार करते हुये अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलें अस्वीकार कर दी गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारियों द्वारा अन्तर कर व ब्याज के बिन्दुओं पर एवं राजस्व द्वारा शास्तियों के बिन्दुओं पर यह अपीलें/क्रॉस ऑब्जेक्शन्स अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

6. व्यवहारियों की ओर से विद्वान अभिभाषकगण ने कथन किया कि उनके द्वारा किया गया उत्पाद वैट अनुसूची–चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 के तहत् आता है तथा उसी के अनुसार व्यवहारियों ने कर संग्रहित करते हुए राजकोष में जमा कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.06.2006 द्वारा अनुसूची चतुर्थ में नई प्रविष्टि संख्या 163 जोडी गई तदनुरूप 'Sugar candy made of sugar and glucose but excluding coco' जिसके अनुसार बिक्रीत उत्पाद इस श्रेणी के होने के कारण तद्नुसार 4/5 प्रतिशत कर संग्रहित करके जमा कराया गया। अनुसूची–चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 में All type of sugar candy सम्मिलित है तथा 'Coco' से निर्मित केण्डी इसमें सम्मिलित नहीं है। विधायिका ने Sugar candies made of sugar and glucose and containg flavours, cream and colors को स्पष्टतः पृथक नहीं किया है। श्री माहेश्वरी, विद्वान अभिभाषक ने लेब रिपोर्ट दर्शाते हुये कथन किया कि इसके उत्पाद में 90 प्रतिशत से अधिक शुगर है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय Gurudevdutta VK Margyadit and others Vs. State of Maharashtra and others 2001 (004) SSC-0534(SC) का दृष्टान्त उद्धरित किया। साथ ही उन्होनें कथन किया कि व्यवहारियों के उत्पाद प्राथमिक रूप में Sugar & Glucose से बने है तथा नाम मात्र के Flavouring Substances, Emulisifiers and colorants होते हैं। विद्वान अभिभाषकगण ने सीटीओ बनाम हीरा लाल मुरलीधर 1993 टैक्स वर्ल्ड 32 सैक्शन–1 का हवाला दिया जिसमें मीठी गोली, जिसमें 90 प्रतिशत शुगर को

लगातार..................4

कन्फैक्शनरी नहीं, बल्कि शुगरकेण्डी माना है। विद्वान अभिभाषकगण ने अतिरिक्त आयुक्त का अधिनियम की धारा 12–ए आरएसटी एक्ट का आदेश दिनांक 02.01.1989 मैसर्स अशोक एन्टरप्राईजेज, कोटा का दृष्टान्त देते हुए Lozenges Toffee को मीठी गोली माना जाना एवं विभाग पर बाध्यकारी होना बतलाया है। उन्होंने कतिपय लैबोरेट्री की जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। विद्वान अभिभाषकगण ने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.06.2008 के द्वारा अनुसूची चतुर्थ में नई प्रविष्टि 174 जोडी गई तदनुरूप दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 07.05.2006 तक की अवधि हेतु ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी पर 4 प्रतिशत की कर दर विहित की गई जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने समस्त माल को ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी मानकर सामान्य कर दर तथा ब्याज आरोपित कर दिया जो कि उक्त अधिसूचना के आलोक में विधिनुकूल नहीं है।

7 अपने तर्कों के समर्थन में इनके द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये

1. [Supreme Court of India] Frick India Limited Vs State of Haryana May 13, 1994.
2. [In The Supreme Court of India] (2009) VST 249 (SC) Sree Krishna Electricals Vs State of Tamil Nadu April 21, 2009
3. [Supreme Court of India] J.K. Synthetics Ltd. Vs Comm. Taxes Officer (C.A. Nos. 3414 to 3416 of 1982) Birla Cement Works Vs State of Rajasthan May 9, 1994.
4. [2012] 51 VST 130(Mad) [In The High Court] Cadbury India Limited Vs Assisstant Commissioner (CT), Chennai July, 2009
5. [In The High Court of Karnataka At Bangalore] Kundanamal Ganeshmal And Borthers Vs State of Karnataka February 12, 1993.
6. [2012] 48 VST 107 (AP) [In The Andhra Pradesh High Court] Banyan Enterprises Vs Commercial Tax Officer August 24, 2011.
7. [2017] 98 VST 172 (Bom.) [In The Bombay High Court] Zamil Steel Buildings India Pvt. Ltd. Vs State of Maharashtra December 23, 2016
8. [In The High Court of Rajasthan At Jodhpur] Black Stone Rubber Industries Pvt. Ltd. Vs State of Rajasthan February 19, 2001.
9. [2011] 39 VST 184(All) [In The Allahabad High Court] Kesar Enterprises Ltd. Vs State of U.P. August 27, 2010/
10. [2011] 43 VST 222(All) [In The Allahabad High Court] Dabur India Limited Vs State of U.P. December 6, 2010/
11. [In The Allahabad High Court] Harbans Lal Malhotra Vs Assistant Commissioner Ghaziabad July 28, 1994
12. [In The High Court of Kerala At Ernakulam] New Prasanthi Automobiles Co. Vs State of Kerala Sepetember 26, 1992.
13. Reportes of Sales Tax Cases Vol. 146 2006 [High Court of Madhya Pradesh] Commissioner of Commercial Tax, Indore Vs Modern Agency October 25, 2004.
14. [In The High court of Rajasthan] Jaipur Bench Cycle Hatt of Jaipur Vs The Board of Revenue May, 13, 1977.
15. [2007] 5 VST 197 (All) [In The Allahabad High Court] Carbon Crafts Pvt. Ltd. Vs state of U.P. December 13, 2005.
16. In The High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur Commercial Taxes Officer Vs Ms Heera Lal Murlidhar Bikaner Date July 2, 1992.

अतः उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उन्होनें व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलों एवं क्रॉस आब्जेक्शन्स को स्वीकारते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों एवं क्रॉस आब्जेक्शन्स को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

8. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.04.2006 से अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 जोडी गई थी जो निम्न प्रकार से थी :–

लगातार....................5

"154 unbranded bakery products including cookies, cakes and pestries, confectionery excluding chocolates "

दिनांक 08.05.2006 की अधिसूचना से Confectionery के पूर्व में unbranded जोडा गया। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी स्वतः ही प्रविष्टि संख्या 154 से बाहर हो गई एवं अनुसूची पंचम के अनुसार सामान्य कर दर से कर योग्य हो गई। उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2017 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा.लि. बनाम सरकार प्रकरण संख्या 473/2011 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय ने समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में ब्राण्डेड कन्फेशनरी की बिक्री आरोपित सामान्य कर दर एवं आरोपित ब्याज की पुष्टि की है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित निर्णय इन प्रकरणों पर पूर्णतया आच्छादित होने से उन्होनें व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलों एवं क्रॉस आब्जेक्शन्स को अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

9. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि व्यवहारियों द्वारा माल राज्य के भीतर बिक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी है या नहीं तथा इस पर कर दर क्या होगी ?

10. सक्षम अधिकारीगण ने व्यवहारियों द्वारा आलौच्य अवधियों में बिक्रीत माल अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्टि संख्या 163 "Sugar Candy made of sugar & Glucose but excluding coco" के अनुसार 4/5 प्रतिशत करदेयता का माल नहीं होकर Sugar and Glucose के अलावा अन्य खाद्य सामग्री की Mixing and Blending सिस्टम से निर्मित ब्राण्डेड उत्पाद की बिक्री होने से व्यवहारियों द्वारा बिक्रीत माल अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्ठि संख्या **"154 unbranded bakery products including cookies, cakes and pestries, confectionery excluding chocolates "** से बाहर ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री पाई गई है। अनब्राण्डेड कन्फेक्शनरी अधिसूचना दिनांक 08.05.2006 के अुनसार 4/5 प्रतिशत की दर से करयोग्य है परन्तु इस अधिसूचना के प्रभाव से ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी सामान्य कर दर से करयोग्य हो गई। अतः व्यवहारियों द्वारा की गई ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री होना सिद्ध होता है। सक्षम अधिकारीगण व अपीलीय अधिकारीगण द्वारा पारित आदेशों में समस्त तथ्यों को विस्तृत रुप से विवेचित करते हुये व्यवहारियों द्वारा की गई विवादित बिक्री को **ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी** प्रोडक्ट की ही बिक्री निर्धारित की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.02.2008 से उपरोक्त वर्णित समस्त अधिसूचनाऐं दिनांक 01.04.2006 से प्रभावशील है। अतः कर निर्धारण अधिकारीगण ने अधिनियम की अनुसूची–V के तहत निर्धारित सामान्य दर से करदेयता निर्धारित करते हुये व्यवहारियों के विरुद्ध आलौच्य अवधियों में करारोपण किया है। **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने भी समान तथ्यों पर विवादित कन्फेक्शनरी पर एसबी एसटीआर/रेफरेंस संख्या 473/2011 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा0लि0, जयपुर व अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स) तृतीय व अन्य निर्णय दिनांक 17.02.2017** में दिये गये निर्णायक निर्णय के पैरा संख्या 17 एवं 19 में सुस्थापित किया है कि :–

लगातार...................6

"17. Taking into consideration the judgment of this court in the case of M/s. Heera Lal Murlidhar (supra), where this court has taken into consideration the meaning of "confectionery" from various dictionaries, as reproduced hereinbefore, it would show that the AO had taken into consideration that the products manufactured by the assesses are produced on account of constant mixing and blending with various ingredients and these are hardened sweet confectionery which are prepared by mixing various ingredients. Applying the test as laid down by this court in the case of M/s Heera Lal Murlidhar (supra), a sugar candy or Meethi Goli which was considered by this court contains purely lumps of sugar and nothing more, whereas in the instant case it is merely not sugar but many more ingredients are added to it. These are essentially toffees or other products and cannot fall purely as a Sugar Candy containing majority of sugar. " तथा पैरा 19

"19. In my view, applying the common parlance test which has been held appropriate by the Apex court time and again in matters like this, the products in which the assessee are dealing, are certainly branded toffees. Taking into consideration the aforesaid reasoning of the Apex court as well as by this court (supra), in my view the finding reached by all the three authorities in unision is well reasoned and no interference is required to be taken into consideration and accordingly while the tax is upheld and consequently the interest being consequential, is also upheld."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय व्यवहारियों द्वारा बिक्रीत माल/समान प्रकृति के माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री के सम्बन्ध में ही है, हस्तगत प्रकरणों में पूर्णतः लागू होने से अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर सक्षम अधिकारीगण एवं अपीलीय अधिकारीगण के आदेशों की पुष्टि की जाती है। व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों के तथ्य हस्तगत प्रकरणों से मेल नहीं खाते है अतः ससम्मान लागू नहीं कर पाते है।

11. परन्तु जहां तक राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.12(15) एफडी/टैक्स/2008–19 दिनांक 03.06.2008 के अनुसार ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी पर कर दर दि. 01.04.2006 से दिनांक 07.05.2006 तक की अवधि हेतु 4 प्रतिशत विहित की गई है अतः इस संबंध में संबंधित सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि यदि कतिपय अपीलों में दिनांक 01.04.2006 से 07.05.2006 की अवधि में व्यवहारियों द्वारा ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिकी की गई है तो उस पर 4 प्रतिशत कर एवं तदनुरूप ही ब्याज आरोपित किया जावे।

12. जहां तक शास्ति का प्रश्न है, वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम दुर्गेश्वरी फूड लि० (12) 32 टीयूडी पृष्ठ 3, वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम बमबीनो एग्रो इण्डस्ट्रीज लि० (2016) 90 वीएसटी पृष्ठ 22 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 21.04.2009 प्रकरण श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व अन्य (2009) 23 VST 249 (SC)** के निर्णय दृष्टवय है। **(2009) 23 VST 249 (SC)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णायक अंश निम्न प्रकार है :–

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellants account books. Where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers turnover disallowing the exemption, penalty cannot be imposed. The penalty levied stands are aside."

लगातार...................7

चूंकि उक्त प्रकरण वस्तुओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित था, जो शुरू से ही विवादित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक से जबकि व्यवहारियों ने समस्त बिक्री विवरणियों में दर्शायी है, आरोपित शास्तियों को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है, तदनुरूप इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपीलें/क्रॉस ऑब्जेक्शन्स अस्वीकार किए जाते हैं।

13. उपरोक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि. 17.2.2017 के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, सिवाय अधिसूचना दिनांक 03.06.2008 के अनुरूप कतिपय व्यवहारियों के प्रकरणों में (जहां लागू हो) पैरा 11 के विश्लेषण के अनुसार दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 07.05.2006 की अवधि हेतु ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री पर 4 प्रतिशत की कर दर से करारोपण करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाते है। अतः उक्त तथ्य के अलावा अपीलीय अधिकारी के आदेशों को यथावत रखते हुये, व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलें व क्रॉस आब्जेक्शन्स को अस्वीकार किया जाता है, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राजस्व द्वारा शास्तियों के बिंदु पर प्रस्तुत अपीलें/क्रॉस ऑब्जेक्शन्स अस्वीकार किए जाते है।

14. **परिणामस्वरुप व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलें आंशिक रूप से/पूर्ण रूप से तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त अपीलें/क्रॉस आब्जेक्शन्स अस्वीकार किये जाते हैं तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों की (सिवाय पैरा 11 में वर्णित तथ्यों के, जहां लागू हो) पुष्टि की जाती है।**

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष